न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अपील प्रकरण संख्या :– 04 / 2019

1. गुरविन्द्र कौर पुत्री मुखत्यार सिंह पत्नी कशमीर सिंह जाति जटसिख निवासी माउवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर (पंजाब),
2. बैअन्त कौर पुत्री मुखत्यार सिंह पत्नी राजा सिंह जाति जटसिख निवासी किंगराजोहड के पास तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा),
3. बिन्दर कौर पुत्री मुखत्यार सिंह पत्नी गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी पथराला तहसील संगत जिला बठिण्डा (पंजाब),

– – अपीलान्ट

–:: बनाम ::–

1. ग्राम पंचायत भागसर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भागसर तहसील सादुलशहरजिला श्रीगंगानगर
2. हरबन्श कौर पत्नी मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी भागसर तहसील सादुलशहर हाल निवासी पथराला तहसील संगत जिला बठिण्डा (पंजाब) केयरऑफ देव सिंह पुत्र चीत सिंह।

– – रेस्पोडेण्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1954

–:: उपस्थित ::–

1. श्री बलकरण सिंह बराड़ अधिवक्ता — अपीलान्ट
2. श्री कृष्ण कुक्कड़ अधिवक्ता — रेस्पोडन्ट 2

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 17.09.2019

अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध इन्तकाल नम्बर 673 दिनांक 05.05.2016 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अपीलाण्टी की माता है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पति व अपीलाण्ट के पिता मृतक मखत्यार सिंह पुत्र भागसिंह के नाम से चक नं0 10 बीजीएस

उपखण्ड अधिकारी

की जमाबन्दी सम्वतः 2069–2072 खाता संख्या 59/55 में 2.193 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। जो कि मृतक मुखत्यार सिंह की जद्दी जायदाद थी। जमाबन्दी सलग्न अपील है। अपीलाण्ट के भाई व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पुत्र गुरवक्श सिंह अविवाहित दिनांक 25.01.2015 को फौत हो चुका है। दिनांक 23.03.2012 को मुखत्यार सिंह पुत्र भागसिंह के मृत्यु के समय कुल 9 वारिस थे। वारिस प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी सलग्न अपील है। 6. यह कि, मृतक मुखत्यार सिह के नाम दर्ज उक्त आराजी का विरासतन इन्तकाल दर्ज नही हुआ था। इसी दौरान एक मात्र गुरबक्श सिंह कि मृत्यु दिनांक 25.01. 2015 को हो गई तो अपीलाण्ट व अपीलाण्ट की चार बहने व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 कुल आठ वारिस रह गये। तथा उक्त आराजी में प्रत्येक वारिस 1/8 हिस्सा का हकदार हो गया। यानि बाकि वारीसान का 1/8 हिस्सा मुताबिक 0.274 है। आराजी हक व हिस्सा में आई। अपीलाण्ट ने अपने हक व हिस्सा में आई आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को हिस्सा व ठेका पर दे दी। इसी दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा एक फर्जी वारिसनामा तैयार कर तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत से मिलकर अपने आप को मृतक मुखत्यार सिंह की एक मात्र वारिस दर्शाते हुए अपनी अकेले के नाम इन्तकाल संख्या 673 दिनांक 05.05.2016 को दर्ज करवा लिया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्वीकृत कर दिया। उक्त इन्तकाल के विरूद्ध अपील अपीलाण्ट निम्न प्रकार से प्रस्तुत की जा रही है :–

1. रेस्पोडेन्टस संख्या 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के साथ मिलीभगत कर मृतक मुखत्यार सिंह का फर्जी वारीस प्रमाण पत्र तैयार कर मात्र एक वारीस रेस्पोडेन्ट संख्या 2 दर्शाते हुए किया गया हैं।

2. यह कि, मृतक मुखत्यार सिह के कुल 9 वारीस थे जिनमें से मृतक मुखत्यार सिंह का पुत्र गुरवक्श सिंह अविवाहित फौत हो जाने के कारण कुल शेष आठ वारीस रह गये थे। मृतक मुखत्यार सिंह की उक्त आराजी में कुल आठ वारीसों का हक व हिस्सा बनता था।

3. यह कि, उक्त आधारो पर अपीलाण्ट उक्त इन्तकाल संख्या 673 दिनांक 05.05.2016 को निरस्त करवाने के हकदार एवं अधिकारी है।

उक्त अपील में वर्णीत आराजी का इन्तकाल संख्या 673 दिनांक 05.05.2016 को ग्राम पंचायत भागसर द्वारा तस्दीक किया गया है। जिस कारण से उक्त अपील माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की है। उक्त इन्तकाल की प्रति दिनांक 14.02.2017 को पटवारी हल्का से लेने पर ज्ञात हुआ की उक्त इन्तकाल फर्जी तरीके से दर्ज किया गया है। इसलिए उक्त अनवानी अपील अन्दर मियाद उचित कोर्ट फीस पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की जा रही हैं। अपील अपीलण्ट द्वारा निवेदन किया

गया कि, राजस्व तहसील के वाके चक 10 बीजीएस के इन्तकाल संख्या 673 दिनांक 05.05.2016 को निरस्त फरमाया जाकर मृतक मुखत्यार सिंह के कुल आठ जायज वारीसान के नाम से ब.हि. बराबर–बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाने के आदेश किया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिऐ रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा रिकार्ड प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 के विरूद्ध दिनांक 24.04.2017 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 12.02.2019 को अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र 81 एलआर. एक्ट प्रस्तुत करने पर वादग्रस्त आराजी चक 10 बीजीएक के खाता संख्या 59/55 के रकबा 2.024 हैक्टर पर स्थगन आदेश जारी किया गया। अपीलान्ट्स की आरे से दिनांक 27.02.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 52 टी.पी.एक्ट प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उपरोक्त अनवानी अपील गुरविन्द्र कौर आदि बनाम ग्राम पंचायत आदि में आज रोज की तारीख पेशी वास्ते रिपोर्ट ग्राम पंचायत हेतू मुकर्रर है। उपरोक्त अनवानी अपील में प्रार्थीगण (अपीलान्ट) ने अपील इस आशय की पेश की हुयी है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पति व अपीलान्ट के पिता मृतक मुख्तयार सिंह पुत्र भाग सिंह के नाम से चक 10 बी जी एस की जमाबंदी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 59/55 में 2.193 है. भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी एवं मुख्तयार सिंह पुत्र भाग सिंह के कल 9 वारिस थे। मृतक मुख्तयार सिंह के नाम दर्ज उक्त आराजी का विरासतन ईन्तकाल दर्ज नहीं हुआ था इसी दौरान एक मात्र पुत्र गुरबक्श सिंह की मृत्यू दिनांक 25.01.2015 को हो गई तो अपलान्ट व अपीलान्ट की चार बहिनें व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 कुल आठ वारिस रह गये, तथा उक्त आराजी में प्रत्येक वारिस 1/8 हिस्सा का हकदार हो गये। जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने एक फर्जी वारिसनामा तैयार कर तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायते से मिलकर अपने आप को मृतक मुख्तयार सिंह की एक मात्र वारिस दर्शाते हुये अपनी अकेले के नाम ईन्तकाल संख्या 673 दिनांक 05.05.2016 को दर्ज करवा लिया, तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्वीकृत कर दिया, जो कि खिलाफ कानून गलत दर्ज किया एवं ईन्तकाल संख्या 673 दिनांक 05.05.2016 को निरस्त फरमाया जाकर मृतक मुख्यार सिंह के आठ वारिसान के नाम ब.हि. ब. दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किये जाने के आदेश फरमाये जावें। वगैरा–वगैरा । यह कि प्रार्थीगण (अपीलान्ट) द्वारा अपील पेश होने पर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 दिनांक 24.04.2017 को विचाराधीन अपील में हाजिर अदालत आ चूकी है एव रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के ऐतराज हेतू व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की रिपोर्ट हेतु पत्रावली में तारीख पेश मुकर्रर है जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को इस बाबत भली भान्ति ज्ञान था कि उसके विरूद्ध अपील पेश की हुई है एवं जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 2

क नाम दर्ज हुयी आराजी के ईन्तकाल को निरस्त किये जाने हेतु अनुतोष चाहा गया है इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने ईल्म होते हुये भी गलत तरीके से अपीलान्ट की विचाराधीन अपील को विफल करने की नीयत से बेईमानीपूर्वक अपील के विचाराधीन रहते अपने नाम गलत तरीके से दर्ज हुई आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 31.01.2019 को अप्रार्थी सख्या 3 मीरां देवी को 0.253 है. आराजी व दिनांक 31.01.2019 को अप्रार्थी संख्या 4 सन्दीप कमार को 1.010 हैक. आराजी हस्तांतरित कर दी है" कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा उक्त आराजी का हस्तांतरण वाद के विचाराधीन रहते किया है एवं वाद के विचारण रहते किया गया हस्तान्तरण शून्य एवं अवैध है एवं अपीलान्ट के हक व अधिकारों पर बेअसर है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा किया गया हस्तातरण नॅल एण्ड वॉईड है जिसे प्रार्थीगण शून्य घोषित करवाने के कानूनन हक अधिकारी है। प्रमाणित प्रति रजिस्टर्ड बैयनामा संलग्न प्रार्थना पत्र है। यह कि अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज कर दिये जायेगें।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 52 टी पी एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा दौराने विचारण अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को दिनांक 31.01.2019 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा किया गया हस्तातरण शून्य घोषित किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

दिनांक 20.05.2019 को माननीय जिला कलक्टर महोदय के पत्रांक सीजी/वाचक/19/422 दिनांक 30.05.2019 से उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से मुंतकिल होकर उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को प्राप्त हुई जिसे दिनांक 22.05.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्यानुसार अपीलार्थीगण माननीय न्यायालय में स्वच्छ हाथों (**Clean hands**) से नहीं आई हैं। हस्तगत अपील दायर करने से पहले अपीलांटस को इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान व विश्वास था कि उनके पिता स्व० श्री मुखत्यारसिंह को प्रश्नगत आराजी अपने पिताजी से विरासतन प्राप्त नहीं थी बल्कि उन्होंने 15 जुलाई 1965 को जरिए बैयनामा खरीदशुदा थी जिसकी वसीयत उन्होंने अपने पुत्र गुरवख्शसिंह के नाम की थी। गुरबख्शसिंह के अविवाहित/बेऔलाद फौत होने पर उसकी एकमात्र जायज वारिस हरबंशकौर रेस्पाडेंट सं0 2 है। प्रश्नगत भूमि में उनका कोई हक व हिस्सा नहीं है। हरबंशकौर के नाम आक्षेपित इंतकाल संख्या 673 दिनांक 5.5.2016 को जानकारी उन्हें 21 सितम्बर 2016 से पूर्व होने पर अपीलांट संख्या 1 गुरविन्द्र कौर ने 21.09.2016 को पुलिस थाना लालगढ जाटान में एफआइआर नम्बर 225/2016 दर्ज करायी थी। गुरविन्द्र कौर (अपीलांटस सं0 1) ने 25.10.2016 को बयान दर्ज कराए थे। प्रश्नगत आराजी मुखत्यारसिंह की खरीदशुदा साबित होने एवं गुरविन्द्र कौर (अपीलांटस सं01) द्वारा लालचवश जमीन में हिस्सा लेने के लिए झूठी एफआइआर दर्ज करवाया जाने का तथ्य

साबित होने पर अदम वकू (झूठ) में एफआर नम्बर 283 दिनांक 24.11.2016 को अदालत में पेश की। अतः अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश न किए जाने और मियाद बाहर दायर अपील धारा 78 एवं 87 भू राजस्व अधिनियम, धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत देरी माफी के लिए प्रार्थनापत्र पेश न करके महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य छुपाकर धोखे से अपील दर्ज करवाने से अपील पोषणीय (maintabale) न होने से खारिज किए जाने योग्य है।

इस विधिक तथ्य की पुष्टि में **Collector Land Acquisition vs Mst Katiji & Ors AIR 1987 Supreme Court 1353 & S-P- Chengalvaraya Naidu v. Jagannath 1994 AIR SC 853** में पारित न्यायिक निर्णय दृष्टांत, बैयनामा बहक मुखत्यार सिंह, इंतकाल बहक मुखत्यार सिंह, पंजीकृत वसीयत, रिपोर्ट पटवारी /आदेश तहसीलदार दिनांक 29/4/2016, इंतकाल बहक हरबंश कौर, जमाबंदी बहक हरबंश कौर, एफ.आइ. आर, बयान गुरविन्द्रकौर (अपीलांट सं01), राजविन्द्र कौर दिनांक 25.10.2016, ब्यान श्री मानसिंह तहसीलदार दिनांक 16.11.2016, एफ.आर. दिनांक 24.11.2016 अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अपीलांट्स को हस्तगत अपील दायर करने से पहले इस विधिक तथ्य का पूर्ण ज्ञान व विश्वास था कि उन्हें आक्षेपित आदेश की जानकारी सितम्बर 2016 में मिलने पर 30 दिन की अवधि में अपील दायर नहीं करने और अपील दायर करने में की गयी देरी के लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रतिदिन देरी का स्पष्टीकरण देते हुए देरी माफी के लिए प्रार्थनापत्र एवं शपथपत्र न दिए जाने के कारण हस्तगत अपील मियाद बाहर होने के कारण माननीय न्यायालय को अपील ग्रहण करने एवं गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने की अधिकारिता हासिल नहीं है इसलिए अपीलांटस के मन में लालच व बेईमानी आने के कारण रेस्पाडेंट सं0 2 को नाजायज तौर पर क्षति कारित करने एवं माननीय न्यायालय को गुमराह करने के आशय से एक राय होकर रची साजिस के तहत अपील मियाद बाहर होने के सारवान व सही तथ्य को जानबूझकर सआशय छुपाते हुए अपील की मद संख्या 10 में जानबूझकर मिथ्या कथन किया कि– "उक्त इंतकाल की प्रति दिनांक 14.02.2017 को पटवारी हल्का से लेने पर ज्ञात हुआ कि उक्त इंतकाल फर्जी तरीके से दर्ज किया गया है इसलिए उक्त अनुवानी अपील अंदर मियाद उचित कोर्ट फीस पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की जा रही है।" ताकि माननीय न्यायालय अपील की मद संख्या 10 एवं शपथ पत्र में किए मिथ्या कथन को सत्य होने की गलत राय कायम करके वश्वास करके अपील अंदर मियाद होने की गलत राय कायम करके अपील स्वीकार करके उनके पक्ष में विधि विरूद्व निर्णय उनके पक्ष में पारित कर दे। अपीलाटस का उक्त आपराधिक कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 192 व 193 के तहत दंडनीय अपराध का स्वः प्रमाणित निश्चयात्मक **per se conclusive proof of offence punishable under section 192 &193 of Indian Penal Code)** सबूत है। यह कि अपीलाटस को

उपखण्ड अधिकारी

माननीय न्यायालय में अपील के साथ शपथपत्र पेश करने से पहले इस विधिक तथ्य का ज्ञान था कि उन्हें सितम्बर 2016 में आक्षेपित इंतकाल की जानकारी मिलने पर 30 दिन में अपील पेश नहीं करके स्वेच्छा से अपने विधिक अधिकारों का परित्याग कर देने के कारण हरबंश कौर रेस्पाडेंट संख्या 2 को प्रश्नगत भूमि पर बतौर मालिक खातेदारी अधिकारी हासिल हो गए है लेकिन पुलिस द्वारा एफ0आर0 पेश करने के सारवान तथ्य को छुपाते हुए अपीलांटस ने एक राय होकर रची साजिस के तहत इस सारवान तथ्य को छुपाते हुए माननीय न्यायालय को गुमराह करने की नियत से अपीलाटंस ने 21.2.2017 को मिथ्या शपथपत्र तैयार करके मिथ्या साक्ष्य गढ कर जमीन के लालच में आकर माननीय न्यायालय में जानबूझकर साक्ष्य में मिथ्या शपथपत्र पेश करके माननीय न्यायालय को गुमराह करके धोखे से अपील दर्ज करवाई है। अपीलांट्स का उक्त आपराधिक कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 192 व 193 के तहत दंडनीय अपराध का स्वः प्रमाणित निश्चयात्मक **per se conclusive proof of offence punishable under section 192 &193 of Indian Penal Code)** सबूत है। यह कि अपीलार्थीगण ने यह जानते हुए कि मुखत्यार सिंह ने अपने पिता का देहान्त होने के बाद प्रश्नगत भूमि खरीद की थी। प्रश्नगत भूमि का इंतकाल कभी भी मुखत्यार सिंह के पिता जी के नाम से नहीं हुआ था इसलिए प्रश्नगत भूमि जद्दी जायदाद नहीं है, लेकिन अपीलांटस ने जमीन के लालच में आकर इस सारवान सही तथ्य को छुपाते हुए माननीय न्यायालय में दायर अपील की मद संख्या 2 में प्रश्नगत भूमि जद्दी जायदाद होने का मिथ्या कथन किया और यह जानते हुए कि अपील की मद संख्या 2 में किया उक्त कथन मिथ्या है, अपीलाटस का उक्त आपराधिक कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 192 व 193 के तहत दंडनीय अपराध का स्वः प्रमाणित निश्चयात्मक **per se conclusive proof of offence punishable under section 192 & 193 of Indian Penal Code)** सबूत है। यह कि अपीलांटस ने यह जानते हुए कि मृतक मुखत्यार सिंह ने अपने जीवन काल में अपने पुत्र गुरवख्श सिंह के पक्ष में अपनी खरीदशुदा भूमि की वसीयत की थी । गुरवख्शसिंह के अविवाहित/बेऔलाद फौत होने पर उसकी माता हरबंशकौर रेस्पाडेंट संख्या 2 उसकी एक मात्र वारिस होने के कारण उसके नाम से नियमानुसार सही इंतकाल दर्ज हुआ है, अपीलाटस गुरवख्श सिंह की वारिसान नहीं है इसलिए प्रश्नगत भूमि में उनका कोई हक व हिस्सा नहीं है लेकिन इस सारवान तथ्य को छुपाते हुए जमीन के लालच में आकर माननीय न्यायालय को गुमराह करने की नियत से अपील की मद संख्या 6 में यह मिथ्या कथन किया है कि उक्त आराजी में वे 1/8 हिस्सा की हकदार है और इस मिथ्या कथन को सत्य होने का कथन करते हुए माननीय न्यायालय में मिथ्या शपथपत्र पेश किया है। अपीलाटस का उक्त आपराधिक कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 192 व 193 के तहत दंडनीय अपराध का स्वः प्रमाणित निश्चयात्मक **per se conclusive**

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

proof of offence punishable under section 192 &193 of Indian Penal Code) सबूत है।

अपीलांटस ने यह जानते हुए कि उनके भाई गुरवख्शसिंह के देहान्त होने के बाद उनके हिस्सा में कोई जमीन नहीं आयी, इसलिए उन्होंने कभी भी हरबंशकौर रेस्पाडेट संख्या 2 को प्रश्नगत जमीन हिस्सा पर नहीं दी लेकिन इस सारवान तथ्य को छुपाते हुए जमीन के लालच में आकर माननीय न्यायालय को गुमराह करने की नियत से अपील की मद संख्या 7 में यह मिथ्या कथन किया है कि अपीलाण्ट ने अपने हक व हिस्सा मे आई आराजी रेस्पाडेंट संख्या 2 को हिस्सा व ठेका पर दी थी। अपीलाटंस ने पत्रावली तथाकथित ठेकानामा पेश नहीं किया लेकिन उक्त मिथ्या कथन को सत्य होने का कथन करते हुए माननीय न्यायालय में मिथ्या शपथ पत्र पेश किया है। अपीलाटस का उक्त आपराधिक कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 192 व 193 के तहत दंडनीय अपराध का स्वः प्रमाणित निश्चयात्मक per se conclusive proof of offence punishable under section 192 &193 of Indian Penal Code) सबूत है। यह कि अपीलाण्टस को अपील दायर करने एवं माननीय न्यायालय में शपथपत्र पेश करने से पहले इस विधिक तथ्य का पूर्ण ज्ञान था कि रेस्पाडेट संख्या 2 हरबंश कौर जमीन की एक मात्र मालिक है उसने कोई फर्जी वारिसनामा तैयार नहीं करवाया बल्कि उनके पिताजी द्वारा अपने पुत्र गुरवख्श सिंह के हक में की गयी वसीयत और गुरवख्श सिंह के देहान्त होने के बाद उनकी जायज वारिस हरबंशकौर रेस्पाडेंट संख्या 2 के नाम तहसीलदार के आदेश पर सही इंतकाल दर्ज किया था लेकिन अपीलांटस संख्या 1 के मन में बेइमानी व लालच आने से उसने फर्जी वारिसनामा तैयार करने का झूठा आरोप लगाते हुए रेस्पाडेंट संख्या 2 सहित अन्य मुलजिमान के खिलाफ दर्ज करवाई झूठी एफआइआर में पुलिस ने एफआर पेश कर दी लेकिन इस सारवान तथ्य को छुपाते हुए माननीय न्यायालय में मिथ्या शपथपत्र पेश किया है। अपीलाटस का उक्त आपराधिक कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 192 व 193 के तहत दंडनीय अपराध का स्वः प्रमाणित निश्चयात्मक per se conclusive proof of offence punishable under section 192 &193 of Indian Penal Code) सबूत है। यह कि तथाकथित वारिसनामा फर्जी है या सही इस बारे में दोनों पक्षकारों को साक्ष्य पेश करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर विधिसम्मत आदेश पारित करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है, माननीय न्यायालय को तथाकथित वारिसनामे की वैधानिकता, सत्यता, विश्वसनीयता, प्रमाणिकता बारे विधिसम्मत आदेश पारित करने की अधिकारिता हासिल नहीं है।

रेस्पाडेंट संख्या 2 हरबंश कौर व अन्य मुलजिमान के खिलाफ अपीलाण्टस ने पुलिस थाना में दर्ज कराई एफआइआर नम्बर 225/2016 में फर्जी वारिस प्रमाण पत्र जारी करवाने का

उपखण्ड अधिकारी

आरोप नहीं लगाया बल्कि विवादित भूमि पैतृक सम्पति होने का झूठा दावा करते हुए पैतृक सम्पति की वसीयत न होने की आड़ लेकर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस द्वारा एफआर लगाने के बाद अपीलाण्टस ने सुनियोजित साजिस के तहत कानूनी प्रावधानों व माननीय न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए जमीन के लालच में प्रथम बार फर्जी वारिस प्रमाणपत्र तैयार करवाने का झूठा, काल्पनिक, मिथ्या, आधारहीन आरोप लगाते हुए दिनांक 23.03.2012 के तथाकथित वारिस प्रमाणपत्र की आड लेकर हस्तगत अपील मियाद बाहर होने के तथ्य को छुपाते हुए विधि विरूद्व पेश की है जो कि पोषणीय नहीं है। मुखत्यार सिह के जीवनकाल में अपीलाण्टस ने अपने पिताजी एवं माताजी (रेस्पाडेंट सं02) की कभी सार संभाल नहीं की और उनकी निरन्तर उपेक्षा करने की वजह से निराश व दुखी होकर मुखत्यार सिंह ने अपनी खरीदशुदा भूमि में से अपीलाटंस को कोई हिस्सा देना उचित नहीं समझते हुए अपने पुत्र के नाम से वसीयत करवाई। मुखत्यार सिंह व गुरवख्स सिंह के देहान्त के बाद अपीलाण्टस ने अपनी वृद्व माता हरबंशकौर (रेस्पाडेंट संख्या 2) की सार संभाल नहीं की बल्कि उनके मन में बेईमानी आने के कारण अपनी वृद्ध माता से हिस्से की मांग करते हुए लडाई झगड़ा करके उसके खिलाफ पुलिस में झूठा मकदमा दर्ज करवा दिया। रेस्पाडेंट संख्या 2 वृद्व व असहाय है उसके पास अपने भरणपोषण का जमीन के अलावा कोई अन्य साधन नहीं है लेकिन अपीलांट्स के मन में लालच, बेईमानी आ जाने के कारण जबरन उक्त सहारा भी जबरन छीनने पर आमादा है इसलिए झूठे तथ्यों पर कानूनी प्रावधानों का दुरूपयोग करते हुए मिया साक्ष्य के रूप में मिथ्या शपथपत्र गढ कर हस्तगत अपील विधि विरूद्व पेश की है जो कि गुणावगुण के आधार पर भी खारिज किए जाने योग्य है। अपीलाटंस संख्या 1 गुरविन्द्र सिंह कौर द्वारा दर्ज करवाई एफआइआर में पेश एफआर व तहसीलदार मानसिंह के बयानों से यह तथ्य वाखूबी साबित होता है कि अपीलांटस ने मिथ्या साक्ष्य गढ कर मिथ्या शपथपत्र साक्ष्य में पेश कर लोक न्याय के विरूद्ध अपराध कारित किया है। माननीय सुप्रीमकोर्ट द्वारा मिश्रीलाल बनाम मध्यप्रदेश राज्य में महत्वपूर्ण विधिक सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि:" **The Courts have to follow the procedures strictly and cannot allow a witness to escape the legal action for giving false evidence before the court on mere explanation that he had given it under the pressure of the police or some other reason."**

माननीय सुप्रीमकोर्ट द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्वान्तानुसार अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते समय अपीलांटस द्वारा माननीय न्यायालय को गुमराह करने के आशय से साक्ष्य में मिथ्या शपथपत्र पेश किए जाने के तथ्य का विवेचन करते हुए अपील के निर्णयोपरान्त अपीलांटस/गवाहान को धारा 340 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी कर उन्हें समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद सक्षम न्यायालय में धारा 192 व 193

आइपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करवाने की अधिकारिता हासिल है। प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है। अतः उक्त तथ्यों व परिस्थितियों में न्यायहित में प्रार्थनापत्र पेश कर विनम्र निवेदन है कि अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज फरमाई जाये विकल्प रूप में यदि माननीय न्यायालय अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर पारित किया जानां उचित व आवश्यक समझे तो प्रार्थनापत्र को लिखित बहस के रूप में पढा जाकर अपीलांटस द्वारा दर्ज करवाई गई एफआइआर व एफ आर से साक्ष्य से अपील मियाद बाहर होने का तथ्य साबित होने एवं अपीलाटंस द्वारा माननीय न्यायालय को गुमराह करके मिथ्या शपथपत्र पेश कर अपील अंदर मियाद पेश करने का मिथ्या कथन करते हुए धोखे से अपील दर्ज करवाने का आदेश पारित करवाने के विधिक तथ्य का विवेचन करते हुए मिथ्या शपथपत्र पेश किए जाने का तथ्य संतोषप्रद तौर पर साबित होने से अपील खारिज कर निर्णयोपरान्त न्याय हित में अपीलाटंस के खिलाफ आइपीसी की धारा 192 व 193 के जुर्म में सक्षम न्यायालय में मुकदमा दर्ज करवाने से पूर्व धारा 340 सीआरपीसी के तहत अपीलाटंस को कारण बताओ नोटिस जारी कर नियमानुसार उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित किया जाये।

अपीलान्ट द्वारा वकील रेस्पोडेंट्स की आरे से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.05.2019 का जवाब न देते हुए वकील अपीलान्ट द्वारा बहस करने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा हस्तगत अपील इन्तकाल संख्या 673 दिनांक 05.05.2016 को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील विधिक समय सीमा के पश्चात् प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत किये पर खारिज की जाती है।

आदेश आज दिंनाक 17.09.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्रीगंगानगर
श्रीगंगानगर